जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 21/2016 श्री विनय कुमार तिवाडी, स्वतन्त्र पत्रकार कार्यालय दैनिक हाईलाईन, बीकानेर रोड, सूरतगढ बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (रसद) सूरतगढ

31.03.016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विनयकुमार तिवाडी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (रसद) सूरतगढ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विनयकुमार तिवाड़ी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2015 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:–

1. सूरतगढ तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत समस्त राशन डिपो व उनके आवंटनधारको की प्रमाणित सूची।
2. राशन डिपो के संचालन के संबंध में विभागीय दिशा निर्देशो की प्रमाणित प्रति
3. यदि इनमें से किसी डिपो का संचालन आवंटित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है तो उनकी प्रमाणित सूची।
4. स्वयं के घर में डिपो चला रहे आवंटनधारको की प्रमाणित सूची।
5. एक से अधिक डिपो चला रहे आवंटनधारको की प्रमाणित सूची।
6. यदि कहीं एक ही दुकान या घर में एक से अधिक डिपो का संचालन हो रहा है तो ऐसे डिपो की प्रमाणित सूची।
7. सूरतगढ़ के वार्ड न0 3, 4, 5, 17 और 23 में संचालित हो रहे डिपो के जनवरी 2014 से सितम्बर 2015 तक स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी श्री विनय कुमार तिवाडी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (रसद) सूरतगढ से तहसील के राशन डीलर्स के संबंध सूचनांए मांगी थी लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र कमांक रसद/सू.का.अ./15/1425 दिनांक 29.12.2015 से सूचना प्रश्नात्मक मानते हुए उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय सूचनांए उपलब्ध न करवाने के उदेश्य से जानबूझकर सामान्य प्रकृति की सूचनांओ को 'क्यों' श्रेणी में मान लिया है जबकि उसके द्वारा प्रश्नात्मक रूप में सूचनांओ की मांग नही की गई है। अतः उसके द्वारा वांछित सूचनांओ की प्रकृति को देखते हुए उसे सूचनांए शीघ्र उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरतगढ द्वारा प्रतिवेदन संख्या 1764 दिनांक 22.02.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया किया गया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 7 बिन्दुओ पर सूचना चाही थी प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां प्रश्नात्मक एवं विस्तृत सूचनांए होने के के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' के दायरे में नही आने तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.2011 अनुसार प्रश्नात्मक सूचना देय नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर पत्र सं0 रसद/सू.का.अ./2015/1425 दिनांक 29.12.2015 से सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी निवेदन किया है कि रिट पेटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर सम्मिलित नही कर सकती है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक

कलेक्टर
गानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पिनक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बना दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई की धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। इसलिए प्रार्थी की अपील आधारहीन होने से निरस्त की जावे।

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरतगढ द्वारा पत्र सं0 1425 दिनांक 29.12.2015 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> आप द्वारा चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक एवं विस्तृत सूचनांए है। उक्त चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16–12–11 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यों'' प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन संख्या 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
>
> इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

चूंकि अपीलार्थी चाही गई सूचनांए कार्यालय में रखे किसी निश्चित अभिलेख की नही है एवं प्रश्नात्मक और विस्तृत है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस

कलेक्टर
गंगानगर

13/3 21/16

स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 29.12.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनांओ को देखते हुए न्याय हित में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (रसद) सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध किसी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार निरीक्षण करवाकर उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (रसद) सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर